

इस पॉलिसी में, निवेश पोर्टफोलियो में निवेश जोखिम को पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जाएगा.

“यूनिट लिंकड बीमा उत्पाद कॉन्ट्रैक्ट के पहले पाँच वर्षों के दौरान कोई नकदीकरण प्रदान नहीं करते हैं. पॉलिसीधारक यूनिट लिंकड इंश्योरेंस उत्पादों में निवेश किए गए पैसे को पाँचवें वर्ष के अंत तक पूरी तरह से या आंशिक रूप से सरेंडर या वापस नहीं ले पाएंगे.”

एसबीआई लाइफ - स्मार्ट प्रिविलेज क्यों?

आप एक सफल व्यक्ति हैं, जीवन में आपके उत्कृष्ट फैसलों के लिए आपकी सराहना की जाती है. जब आप अपनी उपलब्धियों को स्थापित कर लेते हैं तब आप केवल बेहतरीन चीजें ही करना चाहते हैं, फिर चाहे वे व्यक्तिगत हों या आर्थिक लक्ष्य हों. एसबीआई लाइफ - स्मार्ट प्रिविलेज सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी बदौलत बहुविध फंड बदलियों और लॉयल्टी अभिवृद्धियों के माध्यम से बाज़ार में अपने निवेशों को आप नियंत्रित कर सकते हैं ताकि आपके फंड मूल्य की वृद्धि हो.

- **सुरक्षा** : आशवासित जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार को आर्थिक आधार प्रदान करता है.
- **दीर्घ कालिक संपत्ति निर्माण** : लॉयल्टी अभिवृद्धियों* और मार्केट लिंकड प्रतिफलों के फायदे पाते हुए लक्ष्य आधारित बचत की जा सकती है.
- आरंभ में किए गए चयन के अनुसार **संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान या सीमित अवधि के लिए या एकल भुगतान के माध्यम से** अपनी सुविधा के अनुसार प्रीमियम अदा कीजिए और चुनी गई संपूर्ण पॉलिसी अवधि के दौरान लाइफ कवर सहित फायदों का आनंद लीजिए.
- **निवेश का लचीलापन** : आपकी जोखिम-प्रतिफल संबंधी क्षमता के आधार पर आप 11 फंड विकल्पों के बीच आसानी से चयन कर सकते हैं और पहले पॉलिसी वर्ष से असीमित मुफ्त स्विच व प्रीमियम रिडायरेक्शन द्वारा अपने निवेश का आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं.
- पॉलिसी अवधि के दौरान **कोई पॉलिसी प्रशासन प्रभार नहीं**
- 6ठें पॉलिसी वर्ष से **कोई प्रीमियम आवंटन प्रभार नहीं**
- **लॉयल्टी अभिवृद्धियाँ** विशिष्ट अंतरालों पर 6ठें पॉलिसी वर्ष के अंत से शुरू होती हैं, केवल कार्यरत पॉलिसियों के लिए
- **कर लाभ****
- **तरलता** : आंशिक निकासी की सुविधा 6ठें पॉलिसी वर्ष से

*विशिष्ट अंतरालों पर 6ठें पॉलिसी वर्ष से, कार्यरत पॉलिसियों के लिए लागू.


**कर लाभ आयकर कानूनों के अनुसार हैं और समय-समय पर बदलाव के अधीन हैं. कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें.

उदाहरण


श्री जैन ने एसबीआई लाइफ - स्मार्ट प्रिविलेज पॉलिसी ली है. जिसके विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :

आयु - 30 वर्ष	प्लान प्रकार - नियमित बारंबारता - वार्षिक	पॉलिसी अवधि -20 वर्ष प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) -20 वर्ष
प्रीमियम - ₹ 15,00,000 प्रति वर्ष	आशवासित राशि - ₹ 1,05,00,000	फंड - 100% इक्विटी ऑप्टिमाइज़र फंड

1. **परिपक्वता लाभ (एकमुश्त)** : परिपक्वता दिनांक पर, माने गए निवेश रिटर्न के आधार पर जैन का परिपक्वता लाभ नीचे दिए अनुसार हैं :



2. **मृत्यु लाभ (एकमुश्त)** : 10वें पॉलिसी वर्ष के अंत में जैन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, माने गए निवेश रिटर्न के आधार पर मृत्यु लाभ नीचे दी गई तालिका के अनुसार होता है :



**फंड मूल्य/मृत्यु लाभ संबंधी आँकड़े उदाहरण के उद्देश्यों से हैं और वे स्वस्थ जीवन के लिए हैं. कृपया ध्यान दें कि ऊपर वर्णित 4% और 8% प्रति वर्ष की मानी गई रिटर्न की दरें क्रमशः लागू प्रभारों पर विचार करने के बाद इन दरों पर केवल उदाहरणात्मक परिदृश्य हैं. ये गारंटीशुदा नहीं हैं और वे रिटर्न की उच्चतर या निम्नतर सीमाएँ नहीं हैं. यूनिट लिंकड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद बाज़ार के जोखिम के अधीन हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग-अलग फंड्स, संबंधित फंड्स के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इन प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं हैं. अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने पॉलिसी विशिष्ट लाभ उदाहरण के लिए निवेदन करें.

प्लान के विवरण

प्रवेश पर आयु ¹	न्यूनतम : नियमित/सीमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए : 8 वर्ष एकल प्रीमियम : 13 वर्ष		अधिकतम : 55 वर्ष
परिपक्वता पर आयु ¹	न्यूनतम : 18 वर्ष		अधिकतम : 70 वर्ष
प्लान का प्रकार	नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम/एकल प्रीमियम		
प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी) और संबंधित पॉलिसी अवधि (पीटी)	प्लान का प्रकार	पॉलिसी अवधि (वर्ष)	प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्ष)
	नियमित प्रीमियम	10 से 30 वर्ष (दोनों शामिल)	पॉलिसी अवधि के समान
	सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि (एलपीपीटी)	10 से 30 वर्ष (दोनों शामिल)	न्यूनतम : 5 वर्ष अधिकतम : पॉलिसी अवधि ऋण 1 वर्ष
	एकल प्रीमियम	5 से 30 वर्ष (दोनों शामिल)	पॉलिसी आरंभ होने पर एक बार भुगतान
प्रीमियम राशि (₹ 100 के गुणकों में)	प्लान का प्रकार	न्यूनतम (₹)	अधिकतम (₹)
	नियमित प्रीमियम/सीमित प्रीमियम भुगतान	वार्षिक : 6,00,000	कोई सीमा नहीं बोर्ड द्वारा अनुमोदित अंडरराइटिंग पॉलिसी के अधीन होगी
		अर्ध-वार्षिक : 3,00,000	
		त्रैमासिक : 1,50,000	
मासिक : 50,000			
एकल प्रीमियम	6,00,000		
प्रीमियम की बारंबारता	एकल/वार्षिक/अर्ध-वार्षिक/त्रैमासिक/मासिक ⁴		
मूल आश्वासित राशि	प्लान का प्रकार		
	नियमित प्रीमियम और सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि	7 x वार्षिकीकृत प्रीमियम ²	
	एकल प्रीमियम	1.25 x एकल प्रीमियम	

¹आयु के सभी संदर्भ पिछले जन्मदिन पर आयु से हैं।

²जहाँ वार्षिकीकृत प्रीमियम यानी लागू करों को छोड़कर एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि।

⁴मासिक भुगतान के लिए, 3 माह तक का प्रीमियम पेशगी अदा किया जाना चाहिए। नवीनीकरण प्रीमियम भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस), क्रेडिट कार्ड, डायरेक्ट डेबिट और एसआई-ईएफटी के जरिए ही अनुमत या अनुमोदित है। मासिक सैलरी सेविंग स्कीम (एसएसएस) के लिए, 2 माह का प्रीमियम पेशगी अदा किया जाना चाहिए और नवीनीकरण प्रीमियम भुगतान की अनुमति केवल वेतन कटौती के जरिए है।

टिप्पणी : अल्पवयस्क व्यक्ति के मामले में, पॉलिसी अवधि का चयन उपयुक्त रूप से किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो सके कि बीमित व्यक्ति की आयु मैच्योरिटी दिनांक के अनुसार कम से कम 18 वर्ष (पिछला जन्मदिन) होगी।

विभिन्न प्रभार जैसे कि 'प्रीमियम आवंटन प्रभार', 'फंड प्रबंधन प्रभार' इत्यादि की कटौती की जाती है। प्रीमियम आवंटन प्रभार और मॉर्टेलिटी प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार आईआरडीएआई की पूर्व स्वीकृति के साथ संशोधन के अधीन के होंगे। प्रभारों और उनकी गणनाओं की पूरी सूची के लिए कृपया विक्रय विवरणिका पढ़ें।

पहले 5 पॉलिसी वर्षों के दौरान समर्पण निवेदन के मामले में फंड मूल्य छठे पॉलिसी वर्ष के पहले कार्य दिन पर देय होगा। 5 पॉलिसी वर्ष बाद समर्पण निवेदन के मामले में फंड मूल्य तुरंत अदा किया जाएगा।

रियायतों की निषिद्धता

समय समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार :

- क) कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी व्यक्ति को, जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के लिए बीमा करवाने या इसका नवीनीकरण करवाने या बीमा पॉलिसी जारी रखने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई प्रलोभन दे सकता है, न ही देय कमीशन से सम्पूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट दे सकता है, न ही पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी तरह की छूट दे सकता है, न ही बीमा पॉलिसी लेने वाला या इसका नवीनीकरण करवाने या इसे जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी तरह की छूट स्वीकार कर सकता है, बशर्ते प्रकाशित विवरण पुस्तिका या बीमाकर्ता की तालिका के अनुसार इस तरह की छूट की अनुमति दी गई हो।
- ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने में चूक करने पर वह जुर्माने का पात्र होगा जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

Toll-free No.: 1800 267 9090 | SMS 'LIBERATE' to 56161 | Email: info@sbilife.co.in | Web: www.sbilife.co.in
(Between 9.00 am & 9.00 pm)

एसबीआई लाइफ - स्मार्ट प्रिविलेज एक इंडिविजुअल, यूनिट-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद है।

फ़र्जी फोन कॉल और जाली/धोखाधड़ी के ऑफर्स से सावधान :

IRDAI इंश्योरेंस पॉलिसी बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम के निवेश जैसी किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है। इस प्रकार के फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे पुलिस में शिकायत दर्ज करें।

यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद पारंपरिक इंश्योरेंस उत्पादों से अलग होते हैं और वे बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम, पूंजी बाजार से संबंधित निवेश जोखिम के अधीन होता है और यूनिट की एनएवी, फंड की कार्यकुशलता तथा पूंजी बाजार को प्रभावित करने वाले घटकों के आधार पर कम या अधिक हो सकता है, और अपने निर्णय के लिए पॉलिसीधारक/बीमित स्वयं उत्तरदायी है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केवल इंश्योरेंस कंपनी का नाम है और एसबीआई लाइफ-स्मार्ट प्रिविलेज एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, और यह किसी भी रूप में कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता, इसकी भावी संभावनाओं या रिटर्न का संकेत नहीं है। कृपया संबंधित जोखिम तथा लागू प्रभारों की जानकारी के लिए अपने बीमा एजेंट या मध्यस्थ से सम्पर्क करें या अपने बीमाकर्ता के पास मौजूद दस्तावेज देखें। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत उपलब्ध अलग-अलग फंड्स केवल फंड के नाम हैं तथा किसी भी रूप में इन प्लान की गुणवत्ता, भावी संभावनाओं तथा रिटर्न का संकेत नहीं हैं। फंड विकल्पों का पिछला कार्यानिष्पादन भावी कार्यानिष्पादन का संकेत नहीं करता। इस पॉलिसी के अंतर्गत देय सभी लाभ कर कानूनों और समय समय पर प्रभावी अन्य वित्तीय कानूनों के अधीन हैं, कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें। जोखिम कारकों, नियमों व शर्तों के बारे में अधिक विवरण के लिए कृपया बिक्री पूर्ण करने से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें। ऊपर प्रदर्शित ट्रेड लोगो भारतीय स्टेट बैंक का है और लाइसेंस के तहत एसबीआई लाइफ द्वारा प्रयुक्त किया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: नटराज, एम. वी. रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 069. **IRDAI पंजीकरण संख्या 111 | CIN : L99999MH2000PLC129113.**

NW/2B/Cr1/ver1/12/21/SP/HIN